भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3936

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए उपाय

3936. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

श्री दिलेश्वर कामैतः

श्री जुगल किशोरः

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण और सीमांत समुदायों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और सतता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण विकास नीतियों में जलवायु अनुकूलता को एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण विकास पहलों का लाभ समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं, छोटे किसानों और देशी समुदायों तक प्रभावी रूप से पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) हाथरस में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएम-किसान योजना, एनएफएसए और अन्य सरकारी योजनाओं की किस प्रकार समीक्षा की जा रही है क्योंकि किसानों और कमजोर समुदायों के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है;

(ङ) जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कौन-कौन सी बीमा योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(च) किसानों को उक्त योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) अर्थात जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) को कार्यान्वित कर रही है। एनएफएसएनएम का उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली-आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/संकरों के प्रमाणित बीजों के वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, उन्नत कृषि उपकरणों/टूल्स/संसाधन संरक्षण मशीनरी, जल बचत उपकरणों, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता विकास आदि पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

सरकार ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) की स्थापना की है, जो देश में जलवायु गतिविधियों के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। एनएपीसीसी देश को जलवायु

परिवर्तन के अनुकूल बनाने और पारिस्थितिक सुस्थिरता को बढ़ाने हेतु सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति की रूपरेखा तैयार करती है। एनएपीसीसी के तहत राष्ट्रीय मिशनों में से एक राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) है जो कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए कार्यनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि में नवाचार (एनआईसीए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना प्रारंभ की है। यह परियोजना फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है और देश के कमजोर क्षेत्रों के लिए कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित तथा प्रोत्साहित करती है। परियोजना का आउटपुट, क्षेत्रों को सूखा, बाढ़, पाला, हीट-वेब आदि जैसी चरम मौसम स्थितियों से निपटने में सहायता करता है। विगत 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान, आईसीएआर द्वारा कुल 2593 किस्में जारी की गई हैं, इनमें से 2177 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक दबावों के प्रति सहिष्णु पाई गई हैं। जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति किसानों की सहनशीलता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए, एनआईसीआरए के तहत "जलवायु अनुकूल गाँवों" (सीआरवी) की अवधारणा प्रारंभ की गई है। किसानों द्वारा अपनाने के लिए 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील 151 जिलों के 448 सीआरवी में स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है। आईसीएआर अपनी एनआईसीआरए परियोजना के माध्यम से किसानों के बीच कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जागरूकता सृजित करता है। जलवायु परिवर्तन अनुकूल प्रौद्योगिकीयों को व्यापक रूप से अपनाए जाने के लिए जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में किसानों को जानकारी देने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार समय-समय पर राज्यों और बीज उत्पादक एजेंसियों को सलाह देती है कि वे आईसीएआर संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) इत्यादि द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की उच्च उपज प्रदान करने वाली नई जारी किस्मों (एचवाईवी), दबाव सहिष्णु/जलवायु सहिष्णु/उन्नत किस्मों (जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से अधिक प्रभावी रूप से निपटने के लिए) सहित दबाव सहिष्णु (सूखा, बाढ़ और लवणता) किस्मों के प्रजनक बीजों को आधार और प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए उपलब्ध कराएं ताकि देश में कृषि उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि करने और साथ ही किसानों की लाभप्रदता में भी सहायता प्रदान करने के लिए किसानों को इन फसलों की किस्मों के अपेक्षित बीज उपलब्ध कराए जा सकें। इसके अतिरिक्त, कृषि फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2014-15 से बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि देश में किसानों को अपेक्षित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जा सके। वर्ष 2023-24 के दौरान एसएमएसपी को एनएफएसएनएम के साथ विलय कर दिया गया है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत वे परिवार, जो सबसे अधिक गरीब हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न, प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच) प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं। अधिनियम में प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य के लिए निर्धारित लाभार्थियों की अधिकतम सीमा के तहत, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक अंत्योदय अन्न योजना पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार इस योजना के तहत शामिल किए जाने वाले परिवारों की पहचान करेगी, उक्त योजना और शेष परिवारों को राज्य सरकार द्वारा स्वयं विकसित ऐसे दिशा-निर्देशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर किए जाने वाले प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के रूप में पहचान करेगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार महिलाओं, लघु किसानों और स्वदेशी समुदायों सहित समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाभान्वित करते हुए ग्रामीण विकास को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं/उपायों को कार्यान्वित कर रही है। योजनाओं की सूची इस प्रकार है:

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)
(ii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
(iii) समग्र शिक्षा
(iv) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
(v) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)
(vi) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
(vii) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)
(viii) राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)
(ix) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)
(x) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)
(xi) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

(ङ) और (च): भारत सरकार, प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक आग से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित बीमित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) को कार्यान्वित करती है। इस योजना के तहत 15 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के लिए फसलोपरांत हानि भी कवर होती हैं। योजना के कार्यान्वयन और प्रसारण की दक्षता बढ़ाने के लिए, विभिन्न पहलों को कार्यान्वित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

(i) डिजी-क्लेम-पेमेंट मॉड्यूल - मॉड्यूल का उद्देश्य एनसीआईपी को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करना है। अब सरकार को पात्र दावों की संख्या, बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए गए दावों और लाभार्थी किसानों को अंतरित वास्तविक दावों की जानकारी होगी, जो अब तक उपलब्ध नहीं थी और सरकार सदैव इन रिपोर्टों और आंकड़ों के लिए बीमा कंपनी पर निर्भर थी।

(ii) एआईडीई (मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप): खरीफ 2023 में बीमा मध्यस्थों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से किसानों के घर पर ही नामांकन के लिए एक स्मार्ट-फोन ऐप तैयार करके इसे प्रारंभ किया गया है। यह किसान को पूरी तरह से पेपर-लेस और कैश-लेस अनुभव प्रदान करता है।

(iii) कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन: किसानों को अपनी शिकायतें/जिज्ञासाओं/प्रश्न दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल और कॉल सेंटर वाला एक अखिल भारतीय एकल नंबर एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है।

*****